सत्यमेव जयते

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

श्री बिजेन्द्र प्र० यादव
वित्त मंत्री, बिहार

# बिहार सरकार
## वित्त विभाग

# वार्षिक प्रतिवेदन
# 2025-26

**प्रतिवेदन**
**2025-26**

**कार्यक्रम**
**2026-27**

वित्त विभाग राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का केन्द्र है और राज्य के अन्दर एवं बाहर की वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क सूत्र है। राज्य सरकार के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन, संसाधनों की व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग वित्तीय प्रबंधन का मौलिक उद्देश्य है।

## बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार वित्त विभाग को आवंटित विषय

1. कृषि आयकर, टैक्स, ड्यूटी, लेवी, सेस, फी इत्यादि का अधिरोपण।
2. करेन्सी, सिक्काकारी और विधि ग्राह्य मुद्रा के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
3. संघीय राष्ट्र ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
4. राज्य सरकार के मुद्रणालय।
5. लेखन सामग्री एवं प्रपत्र।
6. राज्य अंकेक्षण संस्था।
7. राज्य सरकार द्वारा रूपये उधार लिया जाना और ऋण प्रदान करना।
8. राज्य का लोक ऋण।
9. वित्तीय और लेखा विषयक नियम–विनियम बनाना, संहितायें तैयार करना एवं उनका निर्वहन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वचन।
10. सरकारी सेवकों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण एवं पेंशन।
11. मंहगाई भत्ता।
12. पेंशन रूपान्तरण तथा अनुकम्पा अनुदान।
13. लोक सेवकों की भविष्य निधि से संबंधित कार्य।
14. (क) गाड़ी खरीदने तथा मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था।
    (ख) यात्रा, विवाह एवं अन्यान्य अग्रिम।
15. वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरण तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यर्पण।
16. अनुदान के मामले।
17. राज्य आकस्मिकता निधि।
18. वर्दी इत्यादि से संबंधित नीति विषयक मामले।
19. कार्यपालिका नियमावली के नियम–12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।
20. पद सृजन से संबंधित सभी मामले।
21. कोषागार।
22. गबन एवं क्षति।
23. कर बढ़ाना या घटाना।
24. बैंकिंग।
25. बीमा।
26. व्यापार निगमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकिंग बीमा और वित्त निगम शामिल है, किन्तु सहयोग समितियाँ नहीं।
27. राज्य वित्त आयोग।
28. वित्तीय मामलों में परामर्शीय कार्य।
29. आंतरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति।
30. आर्थिक प्रकोष्ठ/अर्थशास्त्री।
31. राजस्व संसाधनों का अनुश्रवण एवं समीक्षा।
32. लोक उपक्रम का समन्वय एवं नियंत्रण।
33. साधन स्त्रोत एवं राजस्व बढ़ोतरी संबंधी सभी मामले।
34. प्रशासी पदवर्ग समिति।

35. विदेशी सहायता से संबंधित सभी योजनाओं, केन्द्रीय चलित योजनाओं तथा केन्द्रीय संपोषित योजनाओं का सूत्रीकरण, गठन एवं अनुश्रवण।
36. राज्य सरकार के सभी विभागों से संपर्क स्थापित कर ''प्रोजेक्ट तथा स्कीमों'' को तैयार करना (अग्रिम प्रोजेक्ट सहित)।
37. सांस्थिक वित्त संस्थाओं जैसे बैंक, आई०डी०बी०आई०, नाबार्ड इत्यादि से संपर्क रखना, सांस्थिक वित्त से संबंधित सभी प्रोजेक्ट तथा स्कीम का समन्वय तथा मॉनीटरींग।
38. राष्ट्रीय बचत योजना।

## संगठनात्मक स्वरूप

उपर्युक्त दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्त विभाग का एक विशिष्ट संगठनात्मक ढांचा है, जिसके अन्तर्गत् सचिवालय एवं अधीनस्थ निदेशालय दोनों हैं। वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा **परिशिष्ट–I** पर अवलोकनीय है।

**वित्त विभाग में सम्पादित होने वाले कार्यों को निम्नांकित प्रमुख प्रभागों में बाँटा गया है–**

### (क) बजट, स्कीम एवं आयोजन प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | बजट एवं स्कीम तथा अर्थोपाय प्रशाखाएँ | 2 | वित्त आयोग प्रकोष्ठ |
| 3 | ई–गवर्नेस कोषांग | 4 | आर्थिक विश्लेषण प्रकोष्ठ |
| 5 | आयोजन शाखा | 6 | सांस्थिक वित्त |
| 7 | लोक उद्यम ब्यूरो | 8 | राष्ट्रीय बचत |

### (ख) स्थापना, लेखा एवं निगरानी प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | स्थापना प्रभाग | 2 | लेखा प्रभाग |
| 3 | निगरानी प्रभाग | 4 | अंकेक्षण प्रभाग |

### (ग) परामर्श प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रशाखा–3 | 2 | प्रशाखा–3ए०/3बी०/3सी०/3डी० |
| 3 | भविष्य निधि प्रशाखा एवं ग्रुप बीमा | 4 | प्रशाखा–4 |
| 5 | पेंशन प्रशाखा | | |

### (घ) सेवा प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन निर्धारण कोषांग | 2 | वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग |
| 3 | अग्रिम प्रशाखा | 4 | सूचना का अधिकार एवं जनशिकायत कोषांग |

### (ङ) विधायी एवं विधि प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रशाखा–20 (संसूचन एवं विधायी शाखा) | 2 | विधि कोषांग |

### (च) अन्य प्रभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | GeM Portal | 2 | बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड |

# वित्तीय वर्ष 2025–26 की उपलब्धियाँ

## 1. बजट, स्कीम एवं अर्थोपाय

वित्त विभाग में बजट एवं स्कीम शाखा की अहम् भूमिका है। इसके द्वारा आय–व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों से संबंधित कार्य, विभिन्न विभागों से प्राप्त प्राप्तियों, व्यय के अनुमानित आंकड़ों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे संसाधन अनुमान की व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का निर्धारण से संबंधित कार्य संपादित होते हैं। वित्त विभाग अपने इस प्रभाग के माध्यम से अपना कार्य–कलाप आय–व्ययक प्रस्तुतीकरण तथा विनियोग विधेयक पारित कराने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास, नियोजन, संसाधन आदि से संबंधित नीति निर्धारक तत्वों पर नियंत्रण रखकर राज्य के समस्त आर्थिक विकास में सहयोग की जिम्मेवारी का भी निर्वहन कच्रता है। विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों पर विशेष प्रकाश डालना और वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियों की समीक्षा करना बजट का प्रमुख प्रयोजन है।

अर्थोपाय शाखा द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों एवं राज्य के आंतरिक ऋण से प्राप्ति एवं वापसी का अनुश्रवण कार्य किया जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) के अन्तर्गत् नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने तथा ऋण का उपभोग कर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित है, जो नाबार्ड से प्राप्त होनेवाली परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृति एवं अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा करती है।

बजट एवं स्कीम प्रशाखाओं के द्वारा राज्य के सामान्य आर्थिक प्रबंधन की भी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत् विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के लाभ एवं लागत की समीक्षा की जाती है। बजट एवं स्कीम शाखा द्वारा विभागों की स्कीमों की स्वीकृति से संबंधित कार्यों तथा नीतिगत निर्णय लेने से संबंधित परामर्श दिया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत् होने के पूर्व स्कीमों की समीक्षा के क्रम में योजनाओं के लाभ एवं लागत के अनुपात में उनके उत्पादक एवं अनुत्पादक होने की स्थिति पर विचार किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार विभागों को समुचित परामर्श दिया जाता है। वर्ष 2025–26 में वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं–

- बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्व घाटा मात्र 357.39 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 41222.50 करोड़ रुपये का रहा है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9,91,997 करोड़ रुपये का 4.16 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व बचत 8,831.18 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये अनुमानित है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 10,97,264.00 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है।
- राज्य में त्वरित विकास हो रहा है। राज्य की योजना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार स्कीम व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1,12,543.55 करोड़ रूपये हुआ है। वर्ष 2025–26 में स्कीम आकार 1,16,759.60 करोड़ रुपये का है।

- ✧ राज्य का कर–राजस्व में वर्ष 2024–25 में 53,578.14 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2025–26 में 59,520.00 करोड़ रूपये राज्य के कर राजस्व का अनुमान किया गया है।
- ✧ राज्य का गैर कर–राजस्व में वर्ष 2024–25 में 5,781.37 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2025–26 में 8,220.57 करोड़ रूपये गैर कर राजस्व का अनुमान किया गया है।
- ✧ वित्तीय वर्ष 2024–25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.00 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 8.82 प्रतिशत का अनुमान किया गया है।
- ✧ वर्ष 2024–25 के अंत में कुल लोक ऋण 3,16,361.90 करोड़ रुपये का है।
- ✧ वर्ष 2024–25 की अवधि में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से न तो अर्थोपाय अग्रिम और न ही ओवरड्राफ्ट लिया गया।

## 2. वित्त आयोग प्रकोष्ठ

यह प्रशाखा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विमुक्त राशि का अनुश्रवण, उपयोगिता प्रमाण–पत्र का भारत सरकार को प्रेषण एवं इससे संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी नीतिगत निर्णय में सहायता करता है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा/सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में राशि की विमुक्ति एवं उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण इस प्रशाखा द्वारा किया जाता है।

नीति आयोग तथा बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP) से संबंधित कार्यों का संपादन भी इस प्रशाखा द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–II** एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–III** पर अवलोकनीय है।

## 3. ई–गवर्नेंस कोषांग/CFMS/CFMS 2.0 एवं कोषागार

वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को दिनांक–01.04.2019 से लागू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है। इसका नया वर्जन CFMS 2.0 के विभिन्न Modules को दिनांक–08.01.2025 से लागू किया गया है।

राज्य के सभी कार्य विभागों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के ऑनलाईन अनुश्रवण हेतु WAMIS 'प्रणाली' को वित्तीय वर्ष 2026–27 से लागू किया जाना प्रस्तावित है । इसके लागू होने पर कार्य परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु सभी प्रकार का प्रतिवेदन (Report) एवं सूचना वास्तविक समय पर प्राप्त होगी।

RMS–राज्य का समस्त कर राजस्व एवं शुल्क की राशि Online प्राप्त करने हेतु O-GRAS Module कार्यरत है। इसे संवर्द्धित कर Revenue Management System (RMS) तैयार किया गया है जिसे सितम्बर, 2025 में लागू किया गया है। RMS लागू होने के फलस्वरूप सभी प्रकार के राज्य कर/शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों को Online जमा किया जा सकेगा। इससे कार्यों में तीव्रता, सटीकता तथा लेखाकंन में सहायता प्राप्त हो रही है।

SNA-SPARSH-**PFMS-** CSS के नये दिशा–निर्देश के तहत RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Module (PFMS) दिनांक–30.01.2025 से लागू किया गया है। इसके लागू होने से CSS स्कीमों का व्यय एवं अनुश्रवण वास्तविक समय पर किया जा रहा है।

**कोषागार प्रशाखा**– राज्य कि संपूर्ण वित्तीय कार्यों को CFMS के माध्यम से Online किय गया है। इस हेतु राज्य के सभी कोषागारों द्वारा सभी प्रकार के व्यय एवं ई–कोषागार द्वारा प्राप्ति का कार्य Online किया जा रहा है।

**AC/DC प्रशाखा**– विभिन्न विभागों में सार विपत्रों पर आहरित राशि के विरूद्ध लंबित डी०सी० विपत्रों एवं सहायक अनुदान विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के समायोजन हेतु महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय एवं विभागों के साथ समन्वय तथा उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है।

## 4. स्थापना

इस प्रभाग के अन्तर्गत् वित्त विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों का प्रबंधन तथा स्थापना का कार्य किया जाता है।

## 5. अग्रिम

वर्ष 2025–26 में माननीय मंत्रीगणों, विधायकों एवं सरकारी सेवकों को गृह निर्माण, वाहन, कम्प्यूटर आदि क्रय के लिए दिये गये अग्रिमों का विवरण निम्नवत् है–

(i) माननीय मंत्री इत्यादि को मोटरकार अग्रिम मद में कुल रू० 4,50,00,000.00 (चार करोड़ पचास लाख रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

(ii) माननीय विधान मंडल सदस्यों को मोटरकार अग्रिम मद में कुल रू० 15,25,00,000 (पन्द्रह करोड़ पचीस लाख रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक रू० 9,63,20,000.00 (नौ करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार रूपये) व्यय किया गया है।

(iii) राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम मद में कुल रू० 11,25,00,000.00 (ग्यारह करोड़ पचीस लाख रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक रू० 3,67,34,500.00 (तीन करोड़ सड़सठ लाख चौंतीस हजार पाँच सौ रूपये) व्यय किया गया है।

(iv) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम मद में कुल रू० 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

(v) राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम मद में कुल रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक रू० 8,50,000.00 (आठ लाख पचास हजार रूपये) व्यय किया गया है।

(vi) राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मोटरकार अग्रिम मद में कुल रू० 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रूपये) प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिनांक–30.01.2026 तक रू०2,65,69,000.00 (दो करोड़ पैंसठ लाख उनहत्तर हजार रूपये) व्यय किया गया है।

## 6. परामर्शी प्रभाग

प्रशाखा–03 के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त 8 लाख रूपये से अधिक की चिकित्सा अग्रिम, 10 लाख रूपये से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में 180 दिनों से अधिक की प्रभार रहित अवधि के सेवा विनियमन एवं विभिन्न प्रकार के अवकाश से संबंधित परामर्श/सहमति प्रदान की जाती है। उक्त विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभागीय परामर्श/सहमति प्रदान करते हुए संचिका संबंधित विभाग को वापस कर दी जाती है।

प्रशाखा–3ए/3डी के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, वेतन विसंगति, वेतन संरक्षण, वेतन पुनरीक्षण, वेतनमान/भत्ता निर्धारण एवं सेवा शर्त से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में परामर्श दिया जाता है। उक्त विषयों से संबंधित न्यायिक वादों के संदर्भ में न्यायालय में विभागीय पक्ष तथा CCMS पोर्टल से प्राप्त याचिका पर की गई कार्रवाई को अपडेट भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशाखा द्वारा विभिन्न विभागों से प्रशासनिक आवश्यकतानुसार/वाहन क्रय के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ/स्वीकृति प्राप्त मामलों में कार्रवाई की जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श देते हुए संचिका संबंधित विभाग को वापस की जाती है।

प्रशाखा–04 द्वारा बिहार कोषागार संहिता–2011 के प्रावधानों के आलोक में पी०डी० खाता में व्ययगत राशि को पुनर्जीवित करने, प्रशासी विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/ प्राधिकार/सोसाईटी एवं नगर परिषद्/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के लिए पी०एल० खाता खोलने, सिविल डिपॉजिट से निकासी की स्वीकृति दिये जाने, सरकारी विभागों के लिए बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दिये जाने, प्रथम स्थापना के लिए निकासी एवं व्ययन प्राधिकार निर्गत करने एवं अग्रिम वेतन दिये जाने के संबंध में निर्णय संसूचित/परामर्श प्रदान किया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली–1950 के प्रावधानों के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दिये जाने, अपलेखन किये जाने, विभागों द्वारा सामग्रियों का क्रय/सेवाओं की अधिप्राप्ति/निविदा किये जाने एवं कोषागार से गबन/दुर्विनियोग से संबंधित मामलों में परामर्श दिया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली–1950 एवं बिहार कोषागार संहिता–2011 में संशोधन संबंधी कार्य भी प्रशाखा द्वारा किया जाता है इसके अतिरिक्त विभागों के लिए दूरभाष, मोबाइल फोन, समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ, टी०वी० की अनुमान्यता तथा स्टाफ–कार एवं सरकारी वाहनों के ईधन की मासिक खपत की अधिसीमा से संबंधित कार्य भी इस प्रशाखा द्वारा किया जाता है।

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–8550 दिनांक–07.08.2024 द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति तथा वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–13183 दिनांक–09.12.2024 द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 अधिसूचित किया गया है। साथ ही सम्प्रति प्रभावी कोषागार संहिता (बिहार कोषागार संहिता–2011) एवं बिहार वित्त नियमावली–1950 को वर्त्तमान परिपेक्ष्य में ज्यादा सरल, व्यवहारिक एवं समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से नई कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रशाखा–26 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित सरकारी नियमित कर्मियों का औपबंधिक रूप से निर्धारित वेतन का सत्यापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2025–26 में उन विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त 436 संचिकाओं में से 412 संचिकाओं का निष्पादन किया जा चुका है।

पेंशन शाखा (प्रशाखा–27), NSDL(National Securities Depository Limited)] मुम्बई से प्राप्त डाटा के अनुसार दिनांक–30.01.2026 तक कुल 7,36,172 कर्मी एन०पी०एस० के तहत निबंधित हैं।

## 7. भविष्य निधि निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंशदाताओं के भविष्य निधि खाता में समुचित लेखा को संधारित करने के निमित्त पूर्व से कार्यरत e-GPF Software के स्थान पर CFMS 2.0 के अंतर्गत् e-GPF 2.0 का नया Module प्रारंभ किया गया है। CFMS 2.0 अंतर्गत् अंशदाताओं का डाटा डिजिट्लाइज्ड होने के साथ–साथ अद्यतन लेखा पूर्जा एवं प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

सेवानिवृत हो रहे अंशदाताओं को उनके सेवानिवृति होने वाले माह के प्रथम सप्ताह में भविष्य निधि राशि का ससमय भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है। प्राधिकार पत्र के साथ गणना चार्ट की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में HRMS DATA के अनुसार कुल 94,473 कर्मियों में से माह 31 दिसम्बर 2025 तक सेवानिवृत हुए कुल 6108 कर्मी हैं, जिसमें 4935 सेवानिवृत कर्मियों का भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् किया जा चुका है। शेष 1173 सेवानिवृत कर्मियों के भविष्य निधि से भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2025–26 में कुल 44,340 कर्मियों का लेखा पूर्जा शत–प्रतिशत निर्गत किया जा चुका है।

## 8. मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय

बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा प्रेस एवं फॉर्म्स, गया जी का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन कर सरकारी निगमित कंपनी ''बिहार राज्य प्रेस निगम'' की स्थापना की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु संचिका दिनांक–28.08.2025 को भेजी गई थी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परामर्श के आलोक में विभागों, संस्थाओं एवं बाजार में मुद्रण संबंधी मांग का आकलन के आधार पर निगमित कंपनी के गठन की उपयोगिता एवं इसके कार्यान्वयन के संबंध में के०पी०एम०जी० द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

## 9. सांस्थिक वित्त निदेशालय

बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय तिमाही तक CD Ratio तथा ACP का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बेहतर प्रयास किया गया है। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य को हासिल करने एवं CD Ratio को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने हेतु बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निदेश दिया गया है।

बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु हर वर्ष प्रत्येक त्रैमास में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत की जाती है। सितम्बर, 25 तक के त्रैमास की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं बैठक 22.01.2026 को माननीय वित्त मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी बैंकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी।

30 सितम्बर, 2025 को बैंकों का कुल जमा रू० 5,91,417 करोड़ रूपये और कुल ऋण रू० 3,44,014 करोड़ रूपये था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 58.17 प्रतिशत रहा है, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से 0.04 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) वार्षिक साख योजना (ACP) के इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 3,36,000 करोड़ रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 1,43,115 करोड़ रूपये हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 42.59 प्रतिशत है।

वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 1,12,000 करोड़ रूपये के विरूद्ध 31,126 करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं, जो लक्ष्य का 27.79 प्रतिशत है।

MSME के अंतर्गत् वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) 1,19,000 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 61,174.56 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 51.41 प्रतिशत है।

वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत 29.11 लाख खाता खोले गये है। 30.09.2025 तक राज्य में समेकित रूप से 651.10 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 30,986 करोड़ रूपये की राशि जमा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत् वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) 1050.52 लाख योग्य व्यक्तियों के सादृश्य 302.69 लाख लोगों का बीमा किया गया। इस बीमा योजना में सितम्बर, 25 तक 4619 दावे प्राप्त हुए एवं 2948 दावों का निष्पादन किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत् वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) 764 लाख योग्य व्यक्तियों के सादृश्य 103.46 लाख लोगों का बीमा किया गया। इस अवधि तक 25,401 दावे प्राप्त हुए एवं 23,778 दावों को निष्पादन किया गया है।

वर्ष 2025–26 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 25 तक) अटल पेंशन योजनान्तर्गत् लक्ष्य 6.00 लाख के विरूद्ध 4.94 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत् राज्य में सितम्बर, 25 तक समेकित रूप से 66.07 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

30.09.2025 को राज्य में 8365 बैंक शाखाएँ, 54,178 BC Agents, 6642 ATMs तथा 2,51,922 PoS Machine कार्यरत हैं।

राज्यवासियों के बीच डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में सभी जमा खातों के डिजिटलाईजेशन किया जा चुका है।

राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच कैंप लगाकर वित्तीय जागरूकता पैदा कर रहे हैं। 30.09.2025 तक इन साक्षरता केन्द्रों द्वारा 480 विशेष कैम्प एवं 755 Target Group Specific Camp लगाऐ गए हैं। राज्य में बैंकों के ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण योगदान है। सितम्बर, 25 तक इन शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु 9590 आयोजन किए जा चुके हैं।

इस वर्ष राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा चलाए जा रहे ''ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों'' द्वारा 806 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 30,336 इच्छुक स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित किया गया है। अबतक कुल 2,41,179 प्रशिक्षित स्वरोजगारियों में से 1,19,557 को बैंकों द्वारा वित्त प्रदान किया गया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 17.02.2025 की बैठक के आलोक में सभी संबंधित विभागों एवं प्रमुख बैंकों के राज्य प्रमुखों की एक State Level Credit Review Committee की स्थापना की गई है, जो कि प्रत्येक दो माह पर बैठक के माध्यम से राज्य के CD Ratio में अपेक्षित सुधार, ACP लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने से संबंधित कार्यों की समीक्षा तथा विभागों एवं बैंकों के बीच उचित समन्वय को सुनिश्चित करती है।

राज्य के सर्वांगीण विकास में संस्थागत वित्त, विशेषकर बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक न केवल जनता की बचत को संगठित करते है, बल्कि उसे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं जैसे उत्पादक क्षेत्रों में निवेश कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं।

राज्य की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और समग्र प्रगति में बैंकों की भूमिका को प्रधानता देते हुए राज्य सरकार द्वारा CD Ratio, ACP, KCC, Dairy, Poultry, Fisheries, Self Help Group, PMEGP, PMFME, Swanidhi क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर Ranking/Scoring की व्यवस्था की गयी है। उक्त Index में राज्य सरकार की प्रमुखताओं यथा–वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति, साख जमा अनुपात में बढोत्तरी हेतु बैंकों के प्रयास, कृषि–पशुपालन–मत्स्य समेत प्राथमिकता प्रधान क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति, सरकारी योजना के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति व स्वयं–सहायता समूहों को साख उपलब्धता इत्यादि पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके लिए 100 अंको का एक मापदंड तैयार किया गया है, जिसके सापेक्ष 40 अंक (न्यूनतम) लाये जाने के पश्चात ही बैंकों को राज्य सरकार के सरकारी योजनाओं के अंतर्गत Deposit स्वीकार करने तथा PSUs/Authority/सोसाइटी इत्यादि के बैंक संव्यवहार की अनुमति दी जायेगी।

## 10. लोक उद्यम ब्यूरो

9 प्रशासी विभागों के अन्तर्गत् 14 निगम (अनुषंगी कंपनियों सहित) एवं बेल्ट्रॉन की 2 अनुषंगी कंपनियाँ अकार्यरत है।

अकार्यरत निगमों के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं शेष बचे कर्मियों का विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–52, दिनांक–14.03.2018 निर्गत् है।

अकार्यरत निगमों के सेवानिवृत/मृत कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के समायोजन के पूर्व की देयता के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–132 दिनांक–20.06.2018 निर्गत् है।

वित्त विभाग के उक्त संकल्प का ससमय एवं न्यायपूर्ण कार्यान्वयन की कार्रवाई वित्त विभाग के मार्गदर्शन में निगमों के संबधित प्रशासी विभाग के स्तर से किया जा रहा है।

राजकीय लोक उपक्रमों से संबंधित लंबित वार्षिक लेखाओं के निस्तारण हेतु विशेष सचिव, वित्त विभाग के अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में से संबंधित प्रशासी विभागों एवं निगमों से उपस्थित पदाधिकारियों को लंबित वार्षिक लेखाओं के त्वरित निष्पादन करने का अनुरोध किया गया है।

## 11. GeM Portal

भारत सरकार के Online Portal GeM से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्त विभागीय अधिसूचना 9230 दिनांक–27.11.2017 द्वारा राज्य में GeM Portal पर अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निदेश निर्गत् किये गये है, जिसे संशोधित करते हुए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–130 में GeM से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के सभी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार GeM Portal पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं की खरीद कर सकते है।

राज्य में GeM Portal से क्रय हेतु पूर्व से प्रभावी SGPA व्यवस्था के स्थान पर दिनांक–01.04.2023 के प्रभाव से GeM Pool Account (GPA) Payment mode की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत समस्त विभागों को कुल 6 बैंको (यथा, SBI, PNB, HDFC, ICICI, AXIS एवं YES Bank) में से किन्ही तीन बैंको के साथ MoU की सुविधा प्रदान की गई है। इसके आलोक में प्रशासी विभागों/कार्यालयों द्वारा आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार बैंको से MoU कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। Purchase Preference Rules से संबंधित प्रावधानों का GeM Portal पर क्रियान्वयन के लिए Demonstration/UAT प्रक्रियाधीन है।

## 12. राष्ट्रीय बचत

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत् बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जनवरी 2026 तक 44,318.21 करोड़ रूपये शुद्ध संग्रह किया गया है।

## 13. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम

आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के

तहत **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** लागू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित **'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना'** प्रारंभ की गई थी। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ–साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1118/वि० दिनांक–13.02.2018 द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का गठन वित्त विभाग, बिहार के अंतर्गत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड निबंधित है।

वित्तीय वर्ष **2025–26** के लिये **95,220** विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का लक्ष्य शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के प्रारंभ दिनांक–**15.07.2018** से **31.01.2026** तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि की अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैः–

| वित्तीय वर्ष | प्राप्त आवेदनों की संख्या | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | स्वीकृत राशि (करोड़ में) | वितरित ऋण आवेदनों की संख्या | कुल वितरित राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| गत वित्तीय वर्ष तक | 4,32,703 | 3,66,452 | 10,917.86 | 3,49,011 | 6,989.50 |
| वर्तमान वित्तीय वर्ष | 106,109 | 74,862 | 2,583.22 | 46,380 | 1,424.03 |
| **कुल अब तक** | **5,38,812** | **4,41,314** | **13,501.08** | **3,95,841** | **8,413.53** |

वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के प्रारंभ दिनांक– 15.07.2018 से 31.01.2026 तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों की स्वीकृति की कोटिवार सहित विवरणी निम्नवत् हैः–

| क्र० | आवेदकों की कोटि | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | स्वीकृत राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरूष | 3,05,743 | 9,515.24 |
| 2. | महिला | 1,35,570 | 3,985.78 |
| 3. | ट्रांसजेंडर | 1 | 0.04 |
| **कुल** | | **4,41,314** | **13,501.08** |

| क्र० | आवेदकों की कोटि | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | स्वीकृत राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य | 1,24,138 | 4,032.45 |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1,84,050 | 5,620.93 |
| 3 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 82,281 | 2,377.68 |
| 4 | अनुसूचित जाति | 46,670 | 1,349.02 |
| 5 | अनुसूचित जनजाति | 4,175 | 121.00 |
| **कुल** | | **4,41,314** | **13,501.08** |

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के प्रारंभ दिनांक–15.07.2018 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के दिनांक–04.01.2026 तक कुल ₹ 229.37 करोड़ रुपये की वसूली/वापसी की गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को और भी अधिक सरल, सुगम एवं सहज बनाने के साथ–साथ छात्र–छात्राओं को इस योजना से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–3239 दिनांक–04.10.2025 के आलोक में ब्याज रहित शिक्षा ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । साथ ही आवेदकों से शिक्षा ऋण के रूप में वसूली हेतु पूर्व से निर्धारित समयावधि यथा 5 वर्ष तथा 7 वर्ष को बढ़ाकर क्रमशः 7 वर्ष तथा 10 वर्ष कर दिया गया है, ताकि आवेदक सहजतापूर्वक वितरित की गई राशि का भुगतान कर सके।

## 14. अंकेक्षण निदेशालय

सामान्य अंकेक्षण के अन्तर्गत् दिनांक–31.01.2026 तक कुल–83 कार्यालयों/विभागों के लेखा का अंकेक्षण कार्य संपादित किया गया है।

अंकेक्षण निदेशालय के अन्तर्गत् दिनांक–31.01.2026 तक सामान्य अंकेक्षण के कुल–70 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत् किये गये हैं।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आलोक में अनुदान प्राप्ति हेतु लेखा वर्ष 2023–24 के शत् प्रतिशत इकाईयों का अंकेक्षण करने की शर्त रखी गयी थी। इसके आलोक में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा कुल–8051 ग्राम पंचायत, 532 पंचायत समिति एवं 38 जिला परिषद् का अंकेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है, जो कुल इकाईयों का 100% है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आलोक में अनुदान प्राप्ति हेतु लेखा वर्ष 2024–25 के शत प्रतिशत इकाईयों का अंकेक्षण करने की शर्त रखी गयी है। इसके आलोक में दिनांक–31.01.2026 तक स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा कुल–4168 ग्राम पंचायत, 205 पंचायत समिति एवं शून्य (0) कोई भी नहीं जिला परिषद् का अंकेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है, जो कुल इकाईयों का 50.70% है।

## 15. वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग

वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के अंतर्गत सम्प्रति 05 प्रशाखा कार्यरत है एवं राज्य के कुल 45 विभागों के समूह ''क'' एवं ''ख'' के राज्य सेवाओं के सभी राजपत्रित पदाधिकारियों यथा बेसिक ग्रेड से लेकर उच्चतर पद तक (अखिल भारतीय सेवा एवं 2009 से पूर्व प्रोन्नत कुछ पदाधिकारियों को छोड़कर) का वेतन पूर्जा, अवकाश आदेयता एवं वेतन स्थिति एवं सेवान्त लाभ से संबंधित कार्रवाई यथा दीर्घकालीन अग्रिम से संबंधित बाकी/बेबाकी, सेवा इतिहास एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत् करने का कार्य किया जाता है। साथ ही राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा लिये गये दीर्घकालीन अग्रिम से संबंधित राशि की सूद की गणना करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत् करने संबंधी कार्य भी निष्पादित किया जाता है।

## 16. लोक लेखा

**निरीक्षण प्रतिवेदनः**–महालेखाकार लेखापरीक्षा के कार्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर संबंधित विभागों से इस प्रशाखा द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के लिये इस आशय के साथ अनुरोध किया

जाता है कि अनुपालन प्रतिवेदन सीधे महालेखाकार (ले० प०), बिहार को भेजते हुए उसकी प्रति वित्त विभाग को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जाय।

**प्रारूप कंडिका :—** कुछ महत्वपूर्ण मामले यथा गबन, अपरिहार्य व्यय, अधिक व्यय, सरकारी राशि की हानि एवं दुर्विनियोजन से संबंधित विषयों पर महालेखाकार (ले० प०), बिहार के कार्यालय द्वारा प्रारूप कंडिका तैयार कर तथ्य विवरणी के साथ सीधे प्रशासी विभाग को भेजा जाता है तथा उसकी प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रारूप कंडिकाओं पर प्रशासी विभाग को पत्र के माध्यम से सरकार की टिप्पणी, अभ्युक्ति एवं मंतव्य छः सप्ताह के अंदर महालेखाकार को भेजने हेतु आग्रह किया जाता है।

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान मंडल में उपस्थापन संबंधी कार्य :—** भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन यथा वित्त लेखें, विनियोग लेखे, राज्य का वित्त, सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र, राजस्व प्रक्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन वित्त विभाग को प्राप्त होता हैं। उक्त प्रतिवेदनों को विधानमंडल के पटल पर उपस्थापन हेतु कार्रवाई की जाती है।

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन प्रशासी विभागों को भेजना :—** महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को बिहार विधान मंडल के पटल पर उपस्थापन के उपरांत सभी प्रतिवेदनों को सभी प्रशासी विभागों को उसमें उठाये गये आपत्तियों का अनुपलान सुनिश्चित करने के लिये उपलब्ध कराया जाता है।

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन हेतु प्रशासी विभागों से पत्राचार :—**सी०ए०जी० के प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन लोक लेखा समिति, महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रशासी विभागों के साथ समन्वय किया जाता है।

**लोक लेखा समिति के बैठक में भाग लेना :—** बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की बैठक में सी०ए०जी० की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की जाती है, जिसमें वित्त विभाग की ओर से मंतव्य दिया जाता है।

**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन का कार्यान्वयन संबंधी कार्य :—** लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का कार्यान्वयन कराने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

**अंकेक्षण समिति की बैठक संबंधी कार्य :—** महालेखाकार कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रशासी विभागों एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों का अंकेक्षण कार्य सम्पादित करने का कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसका समन्वय संबंधित प्रशासी विभागों के साथ किया जाता है।

**अधिकाई व्यय का नियमितिकरण का कार्य सम्पादित किया जाना :—** अधिकाई व्यय के लंबित मामलों का नियमितिकरण करने हेतु विनियोग विधेयक तैयार किया जाता है तथा उसे बिहार विधान मंडल से पारित कराकर नियमितिकरण की कार्रवाई की जाती है।

**स्थानीय लेखा परीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुपालन संबंधी कार्य :—** महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त स्थानीय लेखा परीक्षक से संबंधित प्रतिवेदन को बिहार विधान मंडल के पटल पर उपस्थापित किया जाता है। उक्त प्रतिवेदन का बिहार विधान मंडल के पटल पर उपस्थापन के उपरांत

संबंधित विभागों को उपलब्ध कराते हुए उसमें अंकित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

**मृत सरकारी सेवकों के ब्याज का अपलेखन संबंधी कार्य का सम्पादन करना:**—विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों/पदाधिकारियों का अपने सेवाकाल में लिये गये ऋण के ब्याज का अपलेखन संबंधी कार्य का सम्पादन किया जाता है।

**17. बाह्य संपोषित ऋण शाखा (प्रशाखा—13)**

इस प्रशाखा का उद्देश्य शहरी अवसरंचना विकास निधि (UIDF), सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF), ग्रामीण अवसरंचना विकास निधि (RIDF) एवं बाह्य संपोषित परियोजना (EAP) के अंतर्गत सस्ते ब्याज दर पर राज्य सरकार के लिए ऋण प्राप्त कर बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाना है।

## वित्तीय वर्ष 2026—27 के प्रस्तावित कार्यक्रम

- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन) परियोजना :— वित्तीय वर्ष 2026—27 में ''CFMS प्रोजेक्ट'' के लिए 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब हेतु 15.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अंशदान के लिए 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में वित्त विभाग के कार्यालयों के भवनों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बिहार हरित विकास कोष के लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ई—गवर्नेंस के लिए 20.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० का गठन किया गया है, जिसे ऋण मद में 886.00 करोड़ रुपये एवं अनुदान मद में 14.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 900.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में वित्त विभाग के भवनों के निर्माण के लिए 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- वित्त विभाग में राज्य स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2026—27 में प्रावधानित राशि **परिशिष्ट—IV** पर अवलोकनीय है।
- वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विनियोग सं० 13—सूद भुगतान, विनियोग सं० 14—ऋण अदायगियाँ एवं मांग सं० 15—पेंशन है जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में राशि प्रावधानित होती है। वित्तीय वर्ष 2026—27 में प्रावधानित राशि **परिशिष्ट—V** पर अवलोकनीय है।

## परिशिष्ट-I
## वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा

वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा निम्न प्रकार है :–

| राजपत्रित | क्र० | पदनाम | स्वीकृत बल |
|---|---|---|---|
| भारतीय प्रशासनिक सेवा | 1 | अपर मुख्य सचिव | 1 |
| | 2 | सचिव (संसाधन) | 1 |
| | 3 | सचिव (व्यय) | 1 |
| | 4 | विशेष सचिव | 2 |
| | 5 | अपर सचिव | 2 |
| | 6 | निदेशक | 3 |
| | 7 | संयुक्त सचिव | 2 |
| बिहार प्रशासनिक सेवा | 1 | विशेष सचिव | 1 |
| | 2 | अपर सचिव | 1 |
| | 3 | संयुक्त सचिव/निदेशक | 6 |
| | 4 | उप निदेशक, जी०पी०एफ० | 1 |
| | 5 | उप सचिव | 1 |
| | 6 | सहायक निदेशक, जी०पी०एफ० | 2 |
| बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा | 1 | संयुक्त निदेशक | 6 |
| | 2 | संयुक्त बजट नियंत्रक | 5 |
| | 3 | संयुक्त आयुक्त, वित्तीय प्रशासन | 4 |
| | 4 | उप बजट नियंत्रक–सह–उप सचिव | 5 |
| | 5 | उपायुक्त, वित्तीय प्रशासन | 6 |
| | 6 | उप निदेशक | 10 |
| | 7 | आंतरिक वित्तीय सलाहकार | 1 |
| | 8 | अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव | 6 |
| | 9 | सहायक निदेशक | 18 |
| | 10 | सहायक आयुक्त, जी०पी०एफ० | 2 |
| | 11 | लेखा पदाधिकारी | 5 |
| | 12 | सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार | 1 |
| बिहार सचिवालय सेवा | 1 | संयुक्त सचिव | 3 |
| | 2 | उप सचिव | 10 |
| | 3 | अवर सचिव | 29 |
| | 4 | प्रशाखा पदाधिकारी | 75 |
| बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा | 1 | वरीय प्रधान आप्त सचिव | 1 |
| | 2 | प्रधान आप्त सचिव | 5 |
| | 3 | आप्त सचिव | 9 |
| अन्य | 1 | निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय | 1 |
| | 2 | बजट सलाहकार | 1 |
| | 3 | वित्तीय विशेषज्ञ | 1 |
| | 4 | बैंकिंग एक्सपर्ट | 3 |
| | 5 | प्रणाली विश्लेषक | 1 |
| | 6 | विधि परामर्शी | 1 |
| अराजपत्रित | 1 | समूह–ख | 293 |
| | 2 | समूह–ग | 402 |

# परिशिष्ट–II

# राज्य वित्त आयोग

षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सह पठित 243(Y) के अनुपालन तथा बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा–168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1835 दिनांक–20.02.2019 द्वारा किया गया।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अंतरिम प्रतिवेदन जनवरी, 2020 में सौंपा गया। अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2021 को राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू हैं।

राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनुशंसा में वर्ष 2020–21 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं, जो वर्ष 2015–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किए जाने संबंधी निदेश जारी किए गए हैं। शेष वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक स्थानीय निकायों के बीच राशि हस्तांतरण निम्नवत किए जाने का प्रावधान किया गया है :–

**(i) प्रतिनिधायन (Devolution)** – प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित किए जानेवाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 10 प्रतिशत होगा।

**(ii) अनुदान (Grant)** – राज्य के पिछले वित्तीय वर्ष के कुल वास्तविक व्यय का 1.25 प्रतिशत अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को सीधे अंतरित की जायेगी। इसके अतिरिक्त 1.25 प्रतिशत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया जायेगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों को विकास करना है।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3640 दिनांक–27.03.2025 के माध्यम से षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को दिनांक–31.03.2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है।

## राज्य वित्त आयोग

## षष्ठम राज्य वित्त आयोग

### षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2025–26 हेतु स्थानीय निकायों के लिए राशि

| निकाय (%) | देय Devolution की राशि | देय अनुदान की राशि Grant | कुल देय राशि |
|---|---|---|---|
| पंचायती राज संस्थान (PRIs) (65%) | 3336.16 | 2290.76 | 5666.92 |
| शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) (35%) | 1817.93 | 1233.48 | 3051.41 |
| **कुल राशि** | **5194.09** | **3524.24** | **8718.33** |

## सप्तम राज्य वित्त आयोग

- सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।

# परिशिष्ट–III

## 15वाँ वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए Action Taken Report निर्गत किया गया है। इस अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी Vertical 41 प्रतिशत की गई है। बिहार के लिए यह हिस्सेदारी Horizontally 10.058 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य के लिए अनुदान के रूप में अनुशंसित एवं प्राप्त राशि की विवरणी संलग्न चार्ट के अनुसार है।

## 16वाँ वित्त आयोग

- 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।
- 16वें वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण का बिहार परिभ्रमण दिनांक–19–21 मार्च, 2025 को संपन्न हुआ।
- 16वें वित्त आयोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव की बैठक दिनांक–20.03.2025 को संवाद भवन, पटना में संपन्न हुई। बैठक के दौरान माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा 16वें वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष को ज्ञापन (Memorandum) समर्पित किया गया।
- 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दी गई है।

# 15th Finance Commission Grants

*(Rs. in Crore)*

| Sl No. | Sectors | | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | | Total (2021-26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Recommendation | Actual Release | Recommendation | Actual Release | Recommendation | Actual Release | Recommendation | Actual Release | Recommendation | Actual Release (till dt- 31.01.2026) | Recommendation | Actual Release (till dt.- 31.01.2026) |
| 1 | Grants to RLBs | (a) Untied Grants (40%) | | 1483.60 | 1483.60 | 1536.80 | 1536.80 | 1553.60 | 1540.96 | 1645.60 | 1644.77 | 1604.80 | 801.010 | 7824.40 | 7007.1401 |
| | | (b) Tied Grants (60%) | | 2225.40 | 2225.40 | 2305.20 | 2305.20 | 2330.40 | 2311.45 | 2468.40 | 2467.16 | 2407.20 | 1201.51 | 11736.60 | 10510.7200 |
| | | **Total RLBs** | | **3709.00** | **3709.00** | **3842.00** | **3842.00** | **3884.00** | **3852.41** | **4114.00** | **4111.93** | **4012.00** | **2002.52** | **19561.00** | **17517.8601** |
| 2 | Grants to ULBs | Grants to Million Plus City | SWM & Sanitation | 206.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 | 225.00 | 213.00 | 239.00 | 239.00 | 243.00 | 243.00 | 1126.00 | 695.00 |
| | | | Air Quality | 103.00 | 77.25 | 107.00 | 7.35 | 113.00 | 0.00 | 119.00 | 30.39 | 122.00 | 0.00 | 564.00 | 114.99 |
| | | | **Total** | **309.00** | **77.25** | **320.00** | **7.35** | **338.00** | **213.00** | **358.00** | **269.39** | **365.00** | **243.00** | **1690.00** | **809.99** |
| | | Grants to Other than Million Plus Cities | Untied (40%) | 607.20 | 303.60 | 628.80 | 618.00 | 665.20 | 645.00 | 704.40 | 555.12 | 718.00 | 296.19 | 3323.60 | 2417.91 |
| | | | Tied (60%) | 910.80 | 455.40 | 943.20 | 927.00 | 997.80 | 1173.50 | 1056.60 | 832.69 | 1077.00 | 444.29 | 4985.40 | 3832.88 |
| | | | **Total** | **1518.00** | **759.00** | **1572.00** | **1545.00** | **1663.00** | **1818.50** | **1761.00** | **1387.81** | **1795.00** | **740.48** | **8309.00** | **6250.79** |
| | | **Total ULBs** | | **1827.00** | **836.25** | **1892.00** | **1552.35** | **2001.00** | **2031.50** | **2119.00** | **1657.20** | **2160.00** | **983.48** | **9999.00** | **7060.78** |
| 3 | **Total Grants for Local Bodies** | | | **5536.00** | **4545.25** | **5734.00** | **5394.35** | **5885.00** | **5883.91** | **6233.00** | **5769.13** | **6172.00** | **2986.00** | **29560.00** | **24578.64** |
| 4 | **Health Grants** | **Grants for Health through Local Government** | Sub Centres | 157.11 | 157.10 | 157.11 | **148.830** | 164.96 | **164.5875** | 173.21 | **0.00** | 182.02 | **0.00** | 834.41 | 470.52 |
| | | | PHCs | 172.79 | 172.79 | 172.79 | **172.79** | 181.42 | **0.00** | 190.50 | **0.00** | 200.22 | **0.00** | 917.72 | 345.58 |
| | | | Urban PHCs | 43.20 | 27.41 | 43.20 | **37.50** | 45.36 | **19.0038** | 47.63 | **0.00** | 50.01 | **0.00** | 229.40 | 83.91 |
| | | **Block Level Public Units** | | 49.47 | 49.47 | 49.47 | **0.00** | 51.94 | **0.00** | 54.54 | **0.00** | 57.27 | **0.00** | 262.69 | 49.47 |
| | | **Urban Health & Wellness Centres** | | 185.43 | 185.43 | 185.43 | **0.00** | 194.71 | **0.00** | 204.44 | **0.00** | 214.66 | **0.00** | 984.67 | 185.43 |
| | | **Building-less sub-centres, PHCs, CHCs** | | 329.29 | 329.29 | 329.29 | **329.05** | 345.60 | **461.51** | 363.00 | **0.00** | 381.10 | **0.00** | 1748.28 | 1119.85 |
| | | **Conversion of Rural PHCs & Sub-centres into Health & Wellness Centres** | | 195.81 | 194.81 | 195.81 | **0.00** | 205.60 | **164.59** | 215.88 | **0.00** | 226.68 | **0.00** | 1039.78 | 359.40 |
| | | **Total Health Grants** | | **1133.10** | **1116.31** | **1133.10** | **688.17** | **1189.59** | **809.69** | **1249.20** | **0.00** | **1311.96** | **0.00** | **6016.95** | **2614.16** |
| 5 | **State Disaster Risk Management Fund (SDRMF)** | Central Share (75%) | | 1416.00 | 1416.00 | 1487.00 | 1487.00 | 1561.00 | 1553.60 | 1639.00 | **1467.30** | 1721.00 | **937.20** | 7824.00 | 6861.10 |
| | | **Total SDRMF** | | **1416.00** | **1416.00** | **1487.00** | **1487.00** | **1561.00** | **1553.60** | **1639.00** | **1467.30** | **1721.00** | **937.20** | **7824.00** | **6861.10** |
| | **Total Grants from GoI** | | | **8085.10** | **7077.56** | **8354.10** | **7569.52** | **8635.59** | **8247.21** | **9121.20** | **7236.43** | **9204.96** | **3923.20** | **43400.95** | **34053.91** |

# परिशिष्ट-IV

## वित्त विभाग का वर्ष 2025—26 बजट अनुमान, वर्ष 2025—26 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2026—27 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

| राजस्व भाग | मांग/ विनियोग सं० | मुख्य शीर्ष | मतदेय/ प्रभृत | 2025-26 बजट अनुमान | | | 2025-26 पुनरीक्षित अनुमान | | | 2026-27 बजट अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (5+6) | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (8+9) | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| अन्य राजकोषीय सेवाएं | 12 | 2047 | मतदेय | 0.00 | 0.00 | **0.00** | | | **0.00** | | 0.10 | **0.10** |
| ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन | 12 | 2048 | प्रभृत | | 200010.00 | **200010.00** | | 200010.00 | **200010.00** | | 200010.00 | **200010.00** |
| सचिवालय सामान्य सेवाएं | 12 | 2052 | मतदेय | 4420.00 | 18631.65 | **23051.65** | 4420.00 | 22467.20 | **26887.20** | 2000.00 | 26454.43 | **28454.43** |
| खजाना तथा लेखा प्रशासन | 12 | 2054 | मतदेय | 7500.00 | 12914.04 | **20414.04** | 7500.00 | 15039.04 | **22539.04** | 5000.00 | 15488.67 | **20488.67** |
| लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 12 | 2058 | मतदेय | | 1465.48 | **1465.48** | | 1465.48 | **1465.48** | | 1230.62 | **1230.62** |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 12 | 2070 | मतदेय | | 875.84 | **875.84** | | 875.84 | **875.84** | | 476.69 | **476.69** |
| विविध सामान्य सेवाऐं | 12 | 2075 | प्रभृत | | 0.00 | **0.00** | | 121135.00 | **121135.00** | | 20005.00 | **20005.00** |
| सामान्य शिक्षा | 12 | 2202 | मतदेय | 1900.00 | | **1900.00** | 1900.00 | | **1900.00** | 1400.00 | | **1400.00** |
| खेलकुद तथा युवा सेवाएं | 12 | 2204 | मतदेय | | 528.00 | **528.00** | | 690.32 | **690.32** | | 586.32 | **586.32** |
| जोड़:- राजस्व भाग | | | मतदेय | **13820.00** | **34415.01** | **48235.01** | **13820.00** | **40537.88** | **54357.88** | **8400.00** | **44236.83** | **52636.83** |
| | | | प्रभृत | **0.00** | **200010.00** | **200010.00** | **0.00** | **321145.00** | **321145.00** | **0.00** | **220015.00** | **220015.00** |
| लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 12 | 4058 | मतदेय | 5000.00 | | **5000.00** | 5000.00 | | **5000.00** | 3000.00 | | **3000.00** |
| अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 12 | 4070 | मतदेय | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | 12 | 5475 | मतदेय | 7500.00 | | **7500.00** | 7500.00 | | **7500.00** | 6000.00 | | **6000.00** |
| शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज | 12 | 6202 | मतदेय | 100000.00 | | **100000.00** | 180000.00 | | **180000.00** | 88600.00 | | **88600.00** |
| सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि | 12 | 7610 | मतदेय | | 3900.00 | **3900.00** | | 3900.00 | **3900.00** | | 3900.00 | **3900.00** |
| जोड़:- पूंजीगत भाग | | | मतदेय | **112500.00** | **3900.00** | **116400.00** | **192500.00** | **3900.00** | **196400.00** | **97600.00** | **3900.00** | **101500.00** |
| | | | प्रभृत | | | | | | **0.00** | | | |
| कुल (राजस्व + पूँजीगत) वित्त विभाग :- | | | | **126320.00** | **238325.01** | **364645.01** | **206320.00** | **365582.88** | **571902.88** | **106000.00** | **268151.83** | **374151.83** |

# परिशिष्ट- V

## सूद भुगतान, ऋण अदायगियाँ एवं पेंशन का वर्ष 2025–26 बजट अनुमान, वर्ष 2025–26 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2026–27 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

| राजस्व भाग | मांग/ विनियोग सं० | मुख्य शीर्ष | मतदेय/ प्रभृत | 2025-26 बजट अनुमान | | | 2025-26 पुनरीक्षित अनुमान | | | 2026-27 बजट अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (5+6) | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (8+9) | राज्य स्कीम | स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय | कुल योग (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ब्याज अदायगियाँ | 13 | 2049 | प्रभृत | | 2301393.71 | **2301393.71** | | 2301393.71 | **2301393.71** | | 2536367.47 | **2536367.47** |
| कुल :- सूद भुगतान | | | | **0.00** | **2301393.71** | **2301393.71** | **0.00** | **2301393.71** | **2301393.71** | **0.00** | **2536367.47** | **2536367.47** |
| राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 14 | 6003 | प्रभृत | | 2112491.28 | **2112491.28** | | 2112491.28 | **2112491.28** | | 2096338.85 | **2096338.85** |
| भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 14 | 6004 | प्रभृत | | 169495.72 | **169495.72** | | 169495.72 | **169495.72** | | 170144.61 | **170144.61** |
| कुल :- ऋण अदायगियाँ | | | | **0.00** | **2281987.00** | **2281987.00** | **0.00** | **2281987.00** | **2281987.00** | **0.00** | **2266483.46** | **2266483.46** |
| पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ | 15 | 2071 | मतदेय | | 3336829.19 | **3336829.19** | | 3336829.19 | **3336829.19** | | 3514033.59 | **3514033.59** |
| | | | प्रभृत | | 2113.86 | **2113.86** | | 2223.86 | **2223.86** | | 3014.64 | **3014.64** |
| कुल :- पेंशन | | | | **0.00** | **3338943.05** | **3338943.05** | **0.00** | **3339053.05** | **3339053.05** | **0.00** | **3517048.23** | **3517048.23** |

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार